रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D (D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104] नई दिल्ली बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 1980/चैत्र 28, 1902

No. 104] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 1980/CHAITRA 28, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1980

सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 209(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 36-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मई, 1971 को अधिक्रान्त करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्ट माल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् माल कहा गया है) जब उसका भारत में आयात, भारत के बाहर निर्यात करने के लिए माल के उत्पादन के लिए या भारत के बाहर निर्यात के लिए माल का उत्पादन या पैक करने के संबंध में उसका उपयोग करने के लिए या कांडला मुक्त व्यापार जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् जोन कहा गया है) जिसमें पैरा 3 में विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण संख्यांक समाविष्ट है और जो उस पैरा में दी गई सीमाओं से घिरा है, के भीतर यूनिटों द्वारा ऐसे निर्यात का संप्रवर्तन करने के लिए किया जाए, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क और पश्चात्वर्ती वर्णित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहनीय अतिरिक्त शुल्क से, यदि कोई हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :—

(1) आयातकर्ता को उस जोन में विनिर्माण करने वाले एक यूनिट या यूनिटों को स्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;

(2) आयातकर्ता को माल का आयात करने के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है ;

(3) आयातकर्ता विकास आयुक्त का यह समाधान कर देता है कि इस प्रकार आयातित माल का उपयोग भारत के बाहर निर्यात के लिए माल का उत्पादन करने या पैक करने या माल के ऐसे निर्यात का संप्रवर्तन करने के संबंध में किया जाएगा ;

(4) आयातकर्ता ऐसे प्ररूप में और ऐसी रकम के लिए जो जोन के विकास आयुक्त द्वारा विहित की जाए, एक बंधपत्र निष्पादित करने के लिए करार करता है जिसमें वह निर्यात बाध्यताओं का पालन करने और अन्य बातों के साथ-साथ इस अधिसूचना में अनुबंधित शर्तों का पालन करने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है ;

(5) आयातकर्ता करार करता है कि वह :

(क) माल जोन में लाएगा और जोन के अंदर उसका उपयोग भारत के बाहर निर्यात के लिए माल का उत्पादन करने या पैक करने या माल के ऐसे निर्यात का संप्रवर्तन करने के संबंध में करेगा ;

(ख) इस प्रकार उत्पादित या पैक किए गए सभी माल का यथास्थिति, भारत के बाहर निर्यात करेगा या कर्मचारों को प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे माल का उपयोग करेगा या ऐसे माल (या पैकेजों) का उक्त जोन में विक्रय करेगा ;

(ग) ऐसे उत्पादन या पैक करने से प्रोद्भूत सभी अवशिष्टों का जोन के विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित रीति से निर्यात या व्ययन करेगा ;

(6) आयातकर्ता माल के आयात, उपभोग और उपयोग का तथा उसके द्वारा किए गए निर्यात का समुचित लेखा रखेगा और ऐसा लेखा समय-समय पर विकास आयुक्त को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से प्रस्तुत करेगा जो उक्त आयुक्त द्वारा अधिकथित की जाए ।

(7) आयातकर्ता, मांग की जाने पर,

(क) ऐसे माल पर जो ऐसा पूंजी माल है जिसे सीमा-शुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में--

(i) जोन के अंदर संस्थापित या अन्यथा प्रयुक्त नहीं किया गया है या उसके आयात की तारीख से एक वर्ष के भीतर या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जिसे सीमा-शुल्क कलक्टर अपना यह समाधान हो जाने पर कि जोन के भीतर उनका उपयोग न किए जाने या उक्त अवधि के भीतर उनका पुनः निर्यात न किए जाने का पर्याप्त कारण है, अनुज्ञात करे, पुनः निर्यात नहीं किया गया है ;

(ii) संस्थापन के पश्चात् जोन के भीतर प्रतिधारित नहीं किया गया है या जोन के भीतर उपयोग नहीं किया है ;

(ख) पूंजी माल से भिन्न ऐसे माल पर जिसे सीमा-शुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में --

(i) भारत के बाहर निर्यात के लिए उत्पादन करने या (जोन के भीतर) माल पैक करने के संबंध में या ऐसे माल के निर्यात का संप्रवर्तन करने के संबंध में उपयोग नहीं किया गया है या उसके आयात की तारीख से एक वर्ष के भीतर या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जिसे सीमा-शुल्क कलक्टर अपना यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अवधि के भीतर उनका उपयोग न किए जाने या उनका पुनः निर्यात न किए जाने का पर्याप्त कारण है, अनुज्ञात करे, पुनः निर्यात नहीं किया गया है ;

(ii) माल के निर्यात का संप्रवर्तन करने के संबंध में जोन के भीतर प्रतिधारित नहीं किया गया है;

(ग) इस प्रकार उत्पादित या पैक किए गए ऐसे माल पर जिसे भारत के बाहर निर्यात नहीं किया गया है या ऐसे अप्रयुक्त माल पर (जिसके अंतर्गत ऐसे खाली ढांचों, फिरकी और पात्र, यदि कोई हो, आते हैं जो बार-बार उपयोग के लिए उपयुक्त हों) जो ऐसे माल के निर्यात की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जिसे सीमा-शुल्क कलक्टर अपना यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अवधि के भीतर ऐसे माल का निर्यात न किए जाने के लिए पर्याप्त कारण है, अनुज्ञात करे, निर्यात नहीं किया गया है ;

उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर की रकम का संदाय करेगा ।

(8) सीमा-शुल्क कलक्टर, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करे, किसी आयातित माल या विनिर्मित या वहां ही पैक किए गए माल की मरम्मत, उसका प्रसंस्करण करने या उसके प्रदर्शन करने के लिए शुल्क के संदाय के बिना अस्थायी रूप से जोन से बाहर ले जाने की अनुज्ञा दे सकेगा और आयातकर्ता ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों का पालन करने के लिए आबद्ध होंगे ;

(9) सीमा-शुल्क कलक्टर के समाधान के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित माल की बाबत शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं होगा, अर्थात् :--

(क) ऐसा माल जो आयातकर्ता, उसके कर्मचारी या अभिकर्ता के जानबूझकर किए गए कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण से अन्यथा खोया या नष्ट हुआ है ;

(ख) ऐसा माल जिसका आयातकर्ता, उसके कर्मचारी या अभिकर्ता के जानबूझ कर किए गए किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण से अन्यथा नुकसान या क्षय हुआ है और इसलिए जोन के भीतर पैक किए जाने के लिए माल के उत्पादन के प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ग) ऐसे उत्पादन के अनुक्रम में उत्पन्न होने वाला स्क्रैप या अपशिष्ट पदार्थ, यदि ऐसा स्क्रैप या अपशिष्ट पदार्थ ऐसी सीमा के भीतर है जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और जोन के भीतर नष्ट किया जाए ;

(घ) जोन में उत्पादित या पैक किए गए माल के ऐसे नमूने जिनके सीमा-शुल्क कलक्टर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, परीक्षण के लिए जोन से बाहर भेजने की अनुज्ञा दे और जो ऐसे परीक्षण के दौरान उपभुक्त हो जाए ;

(ङ) जोन के भीतर अध्ययन या डिजाइन के लिए आयातित माल के ऐसे नमूने, जो विनिर्माण संक्रियाओं के दौरान टूट गए है और जिनका वाणिज्यिक मूल्य तुच्छ हो गया है ;

(च) ऐसा माल, जिसका जोन के भीतर कर्मकारों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रयोग किया जाए या जोन के भीतर किसी विनिर्माता द्वारा जोन के भीतर किसी अन्य विनिर्माता को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसे बन्धपत्र के निष्पादन पर जो सीमा-शुल्क कलक्टर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए विहित करे कि इस प्रकार विक्रय किया गया माल भारत से बाहर निर्यात के लिए माल के उत्पादन या पैक करने के सम्बन्ध में या माल के ऐसे निर्यात का संप्रवर्तन करने में प्रयोग किया जाएगा, विक्रय किया गया ऐसा माल ;

(छ) जोन के भीतर विनिर्मित माल और जो मरम्मत, प्रसंस्करण या प्रदर्शन के लिए अस्थायी रूप से जोन से बाहर ले जाने के लिए अनुज्ञात है ।

2. निम्नलिखित माल की बाबत निर्यात के रूप में पूर्ववर्ती पैरा की शर्त (6) के अधीन लेखा देने के लिए अपेक्षा नहीं की जाएगी, अर्थात् :--

(क) (i) ऐसा माल जिसका, आयातकर्ता, उसके कर्मचारी या अभिकर्ता के जानबूझकर किए गए किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम से अन्यथा, नुकसान या क्षय हुआ है और इसलिए जो जोन के भीतर उत्पादन में प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यदि ऐसा माल जोन के भीतर

नष्ट हुआ है या जिसकी भारत के किसी अन्य भाग में प्रयोग के लिए ऐसे शुल्क के बराबर संदाय पर जो माल पर उद्ग्रहीत होता, यदि माल ठीक दशा में आयातित किया गया होता, जोन से निकासी की जाती; या

(ii) जोन के भीतर माल के उत्पादन के दौरान प्रोद्भूत ऐसा स्क्रैप या अपशिष्ट पदार्थ, जो यदि जोन के भीतर नष्ट हो जाए अथवा जिसकी भारत के किसी अन्य भाग में प्रयोग के लिए ऐसे शुल्क के बराबर संदाय पर जो माल पर उद्गृहीत होता, यदि उस रूप में आयातित किया गया होता, जोन से निकासी की जाती :

परन्तु यदि स्क्रैप या अपशिष्ट पदार्थ की प्रतिशतता नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्रतिशतता से अधिक हो जाती है तो उसके स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट माल पर उद्गृहीत शुल्क के बराबर शुल्क, जिससे स्क्रैप या अपशिष्ट पदार्थ प्रोद्भूत हुआ है, अधिक मात्रा पर प्रभारित किया जाएगा ।

सारणी

क्रम सं०	विनिर्मित माल	उपयोग किया गया आयातित माल	आयातित माल पर स्क्रैप या अपशिष्ट की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जंगरोधी इस्पात के बर्तन	जंगरोधी इस्पात की चादरें और वृत ।	17
2.	चश्मों के फ्रेम यदि—		
	(1) सेलुलोस नाइट्रेट की चादरों और सेलुलोस एसीटेट की चादरों के संबिरचन से,	सेलुलोस नाइट्रेट की चादरें और सेलुलोस ऐसीटेट की चादरें ।	65
	(2) सेलुलोस ऐसीटेट चूर्ण से सांचे में ढाल कर,		20
	उनका उत्पादन किया गया है ।		
3	भैषजिक	क्लोरम्फेनि-कोलोरल एन्स-पेनियम	2.8
		क्लोरौम्फेनिकाल केप्सूल्स	4.28
		सीलेडिया केप्सूल्स ।	6.67
4.	फैब्रिक पर कढ़ाई	आयातित नायलेक्स फैब्रिक और अन्य कढ़ाई की सामग्री जैसे तृण-सूत धातु सूत और अनुक्रमिक चीजें ।	
5.	नमकीन मूंगफली और काजू	आयातित टिन की चादरें	8.9
6.	हाथ से बुनाई की मशीनें	आयातित संघटक जैसे छल्ले, पैरीड, सुइयां, आस्तरण और ब्रैश ।	0.40
7.	कृत्रिम रत्न और प्लास्टिक हैण्ड बैग ।	(क) पी वी सी प्लास्टिक	8
		(ख) हैण्ड बैग के लिए धातु के पुर्जे ।	1.3
		(ग) रत्नों के लिए धातु के पुर्जे ।	3.5
		(घ) कांच के चार्टन और आस्तरण ।	2.7
8.	पालीथीन के थैले	पी वी सी के दाने	5
9.	हाथीदांत की नक्काशी	अपरिष्कृत हाथी दांत	30
10.	हाथीदांत की गादी चूड़ियां	अपरिष्कृत हाथी दांत	10

(ख) बारम्बार उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त खाली कोन्स, फिरकी या पात्र जिनकी ऐसे माल के भारत में आयात करते समय उन पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर शुल्क संदत्त कर के भारत के किसी भाग में उसके उपयोग किए जाने के लिए जोन से निकासी की गई है;

(ग) जोन में उत्पादित माल के नमूने यदि जोन से बाहर किन्तु भारत के किसी अन्य भाग में प्रदर्शन या, प्रचार करने के लिए उनकी निकासी की गई है उतनी मात्रा में और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए समुचित शुल्क के संदाय पर जो सीमा-शुल्क कलक्टर विनिर्दिष्ट करे;

3. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए कांडला मुक्त व्यापार जोन में वे स्थान सम्मिलित होंगे जिन पर नीचे विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण संख्यांक पड़े हों और जो नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं से घिरे हों :—

सर्वेक्षण संख्यांक :

गुजरात राज्य में कच्छ जिले के अंजर तालुके में कांडला पत्तन से 96 किलोमीटर की दूरी पर 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 257, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 302, 303, 304, 310, 312, 313, और 315 जो 3.3528 मीटर ऊंची बाड़ से न्याधार पर पत्थर की चिनाई से बनी हो और शीर्ष पर मृदु इस्पात की छड़े लगी हों, घिरा हो और जो उत्तर में 1042.49 मीटर, पश्चिम में 1529.51 दक्षिण में 777.85 मीटर और पूर्व में 1847.88 मीटर तक फैली हो।

उपाबन्ध

क्रम सं०	माल का वर्णन
1.	मशीनरी
2.	कच्ची सामग्री
3.	संघटक
4.	मशीनरी के फालतू पुर्जे
5.	उपयोज्य सामग्री
6.	पैक करने के लिए सामग्री
7.	कार्यालय उपकरण, उनके फालतू पुर्जे और उपयोज्य सामग्री
8.	विदेशी क्रेता द्वारा माल का परिदान लेने में असफल रहने के कारण या मरम्मत के लिए जोन से निर्यात किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पुनः आयात किया गया माल
9.	औजार, जिग्स, गेज, फिक्सचर और उपसाधन
10.	विकास और विविधरूपण के लिए प्रोटो टाइप, तकनीकी और व्यावसायिक नमूने,
11.	आरेखन, ब्लू प्रिंट और चार्ट

[सं० 77 फा०सं० 361/11/79 सी०शु०-1]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th April, 1980

CUSTOMS

G.S.R. 209(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 36-Customs dated the 1st May, 1971, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in the Annexure to this notification (hereinafter referred to as the goods), when imported into India for the production of goods for exports out of India or for being used in connection with the production or packaging of goods for exports out of India or for the promotion of such exports by units within the Kandla Free Trade Zone (hereinafter referred to as the Zone) comprising of places bearing the survey numbers and enclosed the boundaries specified in paragraph 3, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the additional duty, if any, leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act, subject to the following conditions, namely :—

(1) the importer has been authorised to establish manufacturing unit or units in the Zone;

(2) the importer has been granted necessary licence for the import of goods;

(3) the importer satisfies the Development Commissioner that the goods so imported will be used in connection with the production or packaging of goods for export out of India or with the promotion of such exports of goods;

(4) the importer agrees to execute a bond in such form and for such sum as has been prescribed by the Development Commissioner of the Zone binding himself to fulfil the export obligations, and to fulfil, inter-alia the conditions stipulated in this notification;

(5) the importer agrees:

(a) to bring the goods into the Zone and use them within the Zone in connection with the production or packaging of goods for export out of India or with the promotion of such exports of goods ;

(b) to export out of India, all goods so produced or packeged or to use such goods for imparting training to workers or to sell such goods (or packages) within the said Zone, as the case may be;

(c) to export or dispose of in the manner approved by the Development Commissioner of the Zone, all remanants arising out of such production or packaging;

(6) the importer shall maintain a proper account of import, consumption and utilisation of goods and of exports made by him, and shall submit such account periodically to the Development Commissioner, in such form and in such manner as may be laid down by the said Commissioner.

(7)the importer shall pay, on demand, an amount equal to the duty leviable;

(a) on goods which are capital goods as are not proved to the satisfaction of the Collector of Customs to have been—

(i) installed or otherwise used within the Zones or re-exported within a period of one year from the date of importation thereof or within such extended period as the Collector of Customs, may, on being satisfied that there is sufficient cause for not using them within the Zone or for not re-exporting them within the said period, allow;

(ii) retained within the Zone after installation or use inside the Zone;

(b) on goods other than capital goods as are not proved to the satisfaction of the Collector of Customs to have been—

(i) used in connection with the production or packaging of goods (within the Zone) for export out of India or with the promotion of export such goods or re-exported within a period of one year from the date of importation thereof or within such extended period as the Collector of Customs may, on being satisfied that there is sufficient cause for not using them or for not re-exporting them within the said period, allow;

(ii) retained within the Zone in connection with the promotion of exports of goods;

(c) on goods so produced or packaged as have not been exported out of India and on unused goods including empty cones, bobbins or containers, if any suitable for repeated use) as have not been exported, within a period of one year from the date of importation of such goods or within such extended period as the Collector of Customs may on being satisfied that there is sufficient cause for not exporting such goods within the said period, allow.

(8) the Collector of Customs may, subject to such conditions and limitations as may be imposed by him permit any goods imported or goods manufactured or packaged therefrom to be taken outside the Zone temporarily without payment of duty for repairs, processing or display and the importers shall be bound to comply with such conditions and limitations;

(9) subject to the satisfaction of the Collector of Customs duty shall not be leviable in respect of the following goods, namely :—

(a) goods lost or destroyed not due to any wilful act, negligence or default of the importer, his employee or agent;

(b) goods damaged or deteriorated not due to any wilful act, negligence or default of the importer, his employee or agent and, therefore, not suitable for use in the production of goods or packaging within the Zone;

(c) scrap or waste material arising in the course of such production if such scrap or waste material is within such limits as may be specified in this behalf by the Central Government and destroyed within the Zone;

(d) samples of goods produced or packaged in the Zone which are allowed by the Collector of Customs to be sent for test outside the Zone subject to such conditions as he may specify in this behalf and which are consumed in the course of such test;

(e) samples of goods imported for study or design within the Zone, which, in the course of manufacturing operations have been broken up and rendered insignificant in commercial value;

(f) goods used for imparting training to workers within the Zone or goods sold by a manufacturer within the Zone to another manufacturer inside the Zone subject to such conditions, and the execution of such bonds, as may be prescribed by the Collector of Customs for ensuring that the goods so sold will be used in connection with the production or packaging of goods for export out of India or with the promotion of such exports of goods;

(g) goods manufactured in the Zone and which are allowed to be taken outside the Zone temporarily for repairs, processing or display.

for under condition (6) of the preceding paragraph

2. The following goods will not be required to be accounted for under condition (6) of the preceding paragraph by way of export, namely :—

(a) (i) goods damaged or deteriorated not due to any wilful act, negligence, or default of the importer, his employee or agent and therefore not suitable for use in the production of goods within the Zone, if destroyed within the Zone or if cleared from the Zone for use in any other part of India on payment of the duty equal to that leviable on the goods if imported in sound condition; or

(ii) scrap or waste material arising in the course of production of goods within the Zone, if destroyed within the Zone or if cleared from the Zone for use in any other part of India on payment of the duty equal to that leviable on the goods if imported in that form :

Provided that if the percentage of scrap or waste material exceeds the percentage specified in column (4) of the Table below, the duty equal to that leviable on the goods specified in column (3) thereof, out of which the scrap or waste material has arisen, shall be charged on the excess quantity.

TABLE

Sl. No.	Goods Manufactured	Imported Goods used	Percentage of scrap or waste on imported goods
1	2	3	4
1.	Stainless steel utensils	Stainless steell sheets and circles.	17
2.	Spectacle frames, If produced —	Cellulose nitrate sheets and cellulose acetate sheets	
(i)	by fabrication out of cellulose nitrate sheets and cellulose acetate sheets.		65
(ii)	by moulding from cellulose acetate powder.		20
3.	Pharmaceuticals	Chlorampheni-coloral ansprenium	2.8
		Chloramphenical capsules	4.28
		Celatin Capsules	6.67
4.	Embroidery on fabrics	Imported nylex fabrics and other embroidery materials like straw yarn matallic yarn and sequences	4.23
5.	Salted peanuts and cashewnuts	Imported tin sheets	8.9
6.	Hand knitting machines.	Imported components such as selectors, carried, needles, beds and brashes	0.40
7.	Imitation Jewellery and plastic hand bags	(a) PVC Plastics	8
		(b) Metal parts for hand bags	1.3
		(c) Metal parts for jewellery	3.5
		(d) Glass Charltons and Beads	2.7
8.	Polythene bags	PVC Granules	5
9.	Ivory Carvings	Raw ivory	30
10.	Plaini vory bangles	Raw ivory	10

(b) empty cones, bobbins or containers, suitable for repeated use, and cleared from the Zone for use in any other part of India on payment of the duty equal to that leviable on such goods at the time of their importation into India;

(c) samples of goods produced in the Zone, if cleared for the purpose of display and canvassing outside the Zone but in any other part of India on payment of appropriate duty, in such quantity and subject to such limitations and conditions as may be specified by the Collector of Customs;

(d) sub-standard goods arising in the course of production of goods within the Zone, if cleared, on payment of appropriate duty, for home consumption outside the Zone in such quantity and subject to such limitations and conditions as may be specified by the Collector of Custom

3. For the purpose of this notification, the Kandla Free Trade Zone shall comprise of the places bearing the survey numbers and enclosed by the boundaries, specified below :—

SURVEY NUMBERS

199, 200, 201, 202, 204, 205, 206 ,207, 208, 209, 211, 212, 216 , 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 257, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 302, 303, 304, 310, 312, 313 and 315 in the Taluka of Anjar, District of Kutch, State of Gujarat, at a distance of 9.6 kilometres from the port of Kandla, enclosed by a 3.3528 metres high fencing, consisting of stone masonry in the plinth and mild steelbar mesh at the top, extending 1042.49 metres in the North, 1529.51 metres in the West 777.85 metres in the South and 1847.88 metres in the East.

THE ANNEXURE

Sl. No.	Description of goods
1	2
1.	Machinery
2.	Raw materials
3.	Components.
4.	Spare parts of machinery
5.	Consumables.
6.	Packaging materials.
7.	Office equipments, spares and consumables thereof.
8.	Goods re-imported within one year from the date of exportation from the Zone due to the failure of the foreign buyer to take delivery or for repairs.
9.	Tools, Jigs, Gauges, Fixtures and Accessories.
10.	Prototypes, technical and trade samples for development and diversification.
11.	Drawings, Blue prints and charts.

[No. 77/F. No. 361/11/79-Cus.I]

का० आ० नि० 210(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1980 (1980 का 13) की धारा 4 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान

हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 41-सीमा-शुल्क, तारीख 25 मार्च, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) क्रम सं० 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) क्रम सं० 236 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"237 सं० 77 सीमा-शुल्क, तारीख 17 अप्रैल, 1980।"

[सं० 78/फा०सं० 361/11/79-सी०शु० I]

के० चन्द्रमौलि, अवर सचिव

G.S.R. 210(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 4 of the Finance Act, 1980 (13 of 1980), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 41-Customs, dated the 25th March, 1980, namely :—

In the schedule to the said notification,—

(a) serial number 40 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) after Serial number 236 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"237 No. 77 Customs, dated the 17-4-1980."

[No. 78/F. No. 361/11/79-CUS. I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980.